न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

भंवरलाल बनाम नेमीचन्द व अन्य

आदेश दिनांकः—15.03.2022

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि भंवरलाल पुत्र रामनिवास जाति ब्राम्हण निवासी बाजौलिया तहसील उनियारा की खातेदारी में खसरा नं 456 रकबा 1 हे0 भूमि दर्ज है। भंवरलाल वर्तमान अपीलांट है। रेस्पो नं 1 नेमीचंद मीणा कैन्या ग्राम पंचायत का संरपंच है तथा रेस्पो0 न0 2 उक्त ग्राम पंचायत के सचिव है। उक्त रेस्पो0 के द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा में एक प्रार्थना पत्र धारा 136 एल आर एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि भंवरलाल की खातेदारी में से 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि पूर्व से ही श्मसान के रूप में काम में ली जा रही है। शेष भूमि पर भंवरलाल काश्त करता है। उक्त भूमि 2 बीघा 4 बिस्वा को पुनः राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किया जायें। उपखण्ड न्यायालय द्वारा दिनांक 19.01.2022 को निर्णय करते हुए चाह गया अनुतोष अपीलांट को दिया गया तथा भंवरलाल की खातेदारी में से 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि श्मसान के रूप में दर्ज करने के आदेश दिये है। इससे व्यथित होकर यह अपील की गई।

कैवियटकर्ता वकील गिरिश शर्मा उपस्थित है। ग्राम पंचायत की ओर से उन्होनें अपना वकालतनामा प्रस्तुत किया है। बहस सुनी गई। बहस के दौरान कैवियटकर्ता वकील द्वारा बताया गया कि खसरा नं 456 अपीलांट की खातेदारी में है। संवत 2034 में उक्त खसरा नं में से 2 बीघा 4 बिस्वा जमीन श्मसान के रूप में दर्ज थी भूमि का उक्त हिसा सामुदायिक महत्व की जमीन है तथा एस0डी0ओ द्वारा पटवारी की रिपोर्ट प्राप्त की गई थी अतः स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाये।

उपखण्ड अधिकारी द्वारा धारा 136 एल आर एक्ट के तहत उक्त निर्णय दिया है। निर्णय से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि भंवरलाल की खातेदारी में है उसका कुछ हिस्सा श्मसान के रूप में काम में लिया जा रहा है। मगर धारा 136 एल आर एक्ट के तहत सुनवाई में दोनों पक्षो का सहमत होना आवश्यक है। और उक्त निर्णय धारा 136 में पक्षकारों की सहमति से ही लिया जा सकता है। इस हेतु रेस्पो0 को सक्षम न्यायालय में अनुतोष प्राप्त करना चाहिए। ग्राम पंचायत को यह चाहिए था कि उक्त भूमि का अपीलांट से सरेण्डर करवा कर बिलानाम घोषित करवा कर फिर श्मसान के रूप आवंटन करवा सकती थी। किसी खातेदार से इस प्रकार उसकी भूमि का बिना उचित विधिक प्रक्रिया अपनायें अप्रहरण नहीं किया जा सकता है। चूंकि अपीलांट खातेदार है तथा प्रथम दृष्टया प्रकरण भी उन्हीं का बनता है। अतः अपीलांट की प्रार्थना आंशिक रूप से अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत स्वीकार की जाती है। राजस्व रिकोर्ड में यथास्थिति बनाई रखी जायें। पत्रावली अग्रिम तिथि.....पर प्रस्तुत हों।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
पीठासीन अधिकारी एवं
अति0 संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:16:57 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त , अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड़ , आर.ए.एस., अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल0आर0ए0 संख्या 21/2022 जिला टोंक

भंवरलाल पुत्र रामनिवास जाति ब्राहम्ण निवासी बाजोलिया तहसील उनियारा जिला टोंक।

—अपीलांट

बनाम्

1. नेमीचन्द मीना सरपंच ग्राम पंचायत खेलनिया पंचायत समिति उनियारा जिला टोंक।
2. सचिव, ग्राम पंचायत खेलनिया पंचायत समिति उनियारा जिला टोंक।
3. तहसीलदार जी, तहसील उनियारा जिला टोंक।

—रेस्पोडेंटस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जो कि दिनांक 19.01.2022 , जो कि प्रकरण संख्या 36/2021 बउनवानी नेमीचन्द मीना बनाम तहसीलदार में पारित किया गया।

उपस्थित अभिभाषकः—श्री समीर अहमद(अपीलांट अभि0)

रेस्पोडेंट अभिभाषकः— श्री लेखू मंघानी

निर्णय दिनांकः—22.12.2022

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बाजोलिया तहसील उनियारा का खसरा नम्बर 456 रकबा 1 हे0 वर्तमान अपीलांट के नाम दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर 456 के साबिक खसरा नम्बर 360 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा थे। राजस्व रिकोर्ड संवत 2022—37 तक उक्त भूमि में से 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि गैर मुमकीन शमसान दर्ज थी। मगर उक्त भूमि की किस्म परिवर्तित हो गई। वर्तमान रेस्पोडेंट 1 व 2 द्वारा उक्त शमसान भूमि पर जन सुविधा हेतु चार दीवारी व टीनसैट का कार्य करवाया जा रहा है तो अपीलांट व रेस्पोडेंट के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ। उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 36/2021 अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट पर कार्यवाही के बाद वर्तमान रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर खसरा नम्बर 456 रकबा 1 हेक्टेयर भूमि में से 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि को किस्म शमसान दर्ज किये जाने का आदेश दिया। उक्त निर्णय दिनांक 19.01.2022 से व्यथित होकर वर्तमान अपील निम्न आधार पर प्रस्तुत की गई है—

1. धारा 136 एलआरएक्ट के प्रार्थना पत्र में केवल त्रुटि को ही दुरूस्त किया जा सकता है।

2. अपीलांट 5 बीघा 16 बिस्वा भूमि पर ही काबिजकाश्त है तथा भू—प्रबन्ध विभाग द्वारा खसरा नम्बर 456 के साबिक खसरा नम्बर के 360 का रकबा कम कर दिया है।

3. विवादित भूमि अपीलांट की खातेदारी की है तथा ग्रामीणों के लिऐ शमसान हेतु काम मे नही ली जा रही है।

4. सक्षम न्यायालय में नियमित वाद के द्वारा कार्यवाही की जानी चाहिए।

5. ग्रामवासीयान की ओर से कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अपील स्वीकार करते हुए ट्रायल कोर्ट का निर्णय दिनांक 19.01.2022 निरस्त किया जायें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:16:57 IST
Reason: SelfAttested

अपील के साथ अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

अपील के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को नोटिस जारी किये गये। ट्रायल कोर्ट से रिकोर्ड मंगवाया जाकर प्राप्त किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अपीलांट अभिभाषक द्वारा बताया गया कि भूमि हमारे नाम है। संवत 2022–34 में भूमि शमसान के नार्म दर्ज थी। चार दीवारी टीनसैट निर्माण पर आपत्ति है। खसरा नम्बर 456 का रकबा 1 हेक्टेयर है। धारा 136 के प्रार्थना पत्र से खातेदारी समाप्त नहीं की जा सकती है। प्रार्थना पत्र मेंण्टेनेबल नहीं था। साबिक खसरा नम्बर 360 का रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा था। रेस्पोडेंट नम्बर 1 व 2 प्रार्थना पत्र देने के अधिकारी नही थे। दिनांक 19.01.2022 को ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्णय दिया गया। वकील अपीलांट द्वारा आरआरटी 2015 सुप्रीम कोर्ट वोल्यूम–1 पेज 10 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया गया। वकील रेस्पोडेंट द्वारा बहस में बताया गया कि 456 का साबिक खसरा नम्बर 360 थे। संवत 2022–37 भू–प्रबंध से पूर्व किस्म भूमि शमसान दर्ज है तथा बाद भू–प्रबन्ध बारानी दर्ज कर दी। यह एक क्लर्कली त्रुटि है। आम जनता या सरपंच प्रार्थना पत्र दे सकता है। सिर्फ किस्म बदलने हेतु एस0डी0ओ0 के यहा प्रार्थना पत्र दिया गया था। राजस्थान टिनैन्सी एक्ट धारा 16 के अनुसार सार्वजनिक उपयोग की भूमि में किसी को खातेदारी नही दी जा सकती है। तहसीलदार द्वारा भू–प्रबन्ध की पूर्व व पश्चात की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। वकील रेस्पोडेंट के द्वारा आरआरडी 1994 पेज 761, आरआरडी 2008(1)हाईकोर्ट पेज 151 तथा आरआरटी 2021(1)हाईकोर्ट पेज 641 प्रस्तुत किये।

सर्वप्रथम अपील के मियाद अवधि में होने बाबत बिन्दु का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.01.2022 का है तथा न्यायालय हाजा में अपील दिनांक 09.02.2022 को प्रस्तुत कर दी है। अतः अपील अंदर मियाद प्रस्तुत कर दी गई है।

न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पर सुनवाई करते हुए राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति बाबत आदेश दिया गया। बहस बिन्दुओ पर मनन किया गया। ट्रायल कोर्ट की फाइल पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वस्तुस्थिति निम्नानुसार है–

1. जमाबंदी ग्राम बाजोलिया संवत 2073 के अनुसार विवादित खसरा नम्बर 456 का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर भूमि बारानी–1 होकर वर्तमान अपीलांट के नाम दर्ज है तथा बैंक ऑफ वडौदा शाखा सूथड़ा के नाम दर्ज है।

2. खसरा गिरदावरी 2074 ग्राम बाजोलिया के अनुसार विवादित खसरा नम्बर 456 होकर रकबा 1 हे0 में से 0.80 हे0 भूमि पर खरीफ में चरी तथा रबी में सरसों बोई गई है तथा न जोते गये क्षेत्रफल के ब्यौरा कॉलम नम्बर 16 में 0.20 हे0 दर्ज है तथा शमसान अंकित है। भू–प्रबन्ध मिलान क्षेत्रफल ग्राम बाजोलिया के अनुसार 456 का रकबा 1 हेक्टेयर होकर इसके साबिक खसरा नम्बर 360 थे तथा रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा था। मौका पर्चा द्वारा पटवारी ग्राम बाजोलिया दिनांक 12.01.2021 के अनुसार खसरा नम्बर 456 का रकबा 0.20 हे0 ग्राम बाजोलिया के शमसान घाट के रूप में काम में लिया जा रहा है तथा शेष भूमि 0.80 हे0 फसल काश्त की जा रही है। तहसीलदार उनियारा की रिपोर्ट दिनांक 12.01.2022 के अनुसार जो उनके द्वारा उपखण्ड अधिकारी उनियारा को भेजी गयी है, उनके द्वारा यह बताया गया है कि भू–प्रबन्ध से पूर्व की जमाबंदी संवत 2018 की जमाबंदी में खाता संख्या 38 में खसरा नम्बर 360 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा भूमि माधो पुत्र हि... कौम ब्राह्मण साकिनदेह के नाम खातेदारी में दर्ज रिकोर्ड है। जिसमें 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि की किस्म गैर मुमकीन शमसान के रूप में है। संवत 2026 की जमाबंदी में भी इसी प्रकार इन्द्राज दर्ज है। संवत 2034–37 के खाता संख्या 43 में उक्त खसरा नम्बर 360 मोहनलाल पुत्र रामनिवास ब्राहम्ण के नाम दर्ज रिकोर्ड है। जिसकी किस्म में 2 बीघा 4 बिस्वा शमसान दर्ज है। मगर भू–प्रबन्ध के पश्चात

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:16:57 IST
Reason: SelfAttested

साबिक खसरा नम्बर 360 का हाल खसरा नम्बर 456 बना है। मिसल बन्दोबस्त 2041–60 के खाता संख्या 80 भंवरलाल पुत्र रामनिवास जाति ब्राम्हण के नाम खसरा नम्बर 456 रकबा 1 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम दर्ज रिकोर्ड है तथा इसकी किस्म में गैर मुमकीन शमसान दर्ज नहीं है। तहसीलदार उनियारा द्वारा ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के दौरान अपना जवाब प्रस्तुत किया था तथा साबिक रिकोर्ड के अनुसार राजस्व रिकोर्ड में शुद्धि करने बाबत स्वीकारोक्ति दी थी। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.01.2022 का अवलोकन किया गया। उनके द्वारा यह माना गया कि भू–प्रबन्ध विभाग के अधिकारियों द्वारा बिना सक्षम आदेश के किस्म का बदलाव किया है तथा गैर मुमकीन शमसान के अनुसार किस्म को बारानी दर्ज किया है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2015(1) सुप्रीम कोर्ट पेज 10 नगरपरिषद बाड़मेर बनाम राजस्थान राज्य में दिये गये निर्णय के न्यायिक दृष्टांत बाबत अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में राजस्थान राज्य की जगह एस0डी0ओ0 के द्वारा रेस्पोडेंट का नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया। जिसमें भूमि 1955 से राजस्थान राज्य के नाम दर्ज थी। मगर उपखण्ड अधिकारी द्वारा धारा 136 का हवाला देते हुए रेस्पोडेंट के नाम दर्ज की। जिसे न्यायालय ने उचित नहीं माना। मगर प्रस्तुत प्रकरण में मात्र भूमि की किस्म बदलने से संबंधित विवाद है। उक्त प्रकरण में किसी की खातेदारी अन्य के नाम दर्ज नहीं की जा रही है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण में चस्पा नहीं होता है। रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2009 पेज 954 में दिये गये निर्णय का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में रेस्पोडेंट को सुनवाई का अवसर दिया गया था। मगर वह उपस्थित नहीं हुआ तथा जमाबंदी संवत 2034–37 के अनुसार विवादित भूमि को सिवायचक भूमि को खाता नम्बर 1 में दर्ज करने के आदेश दिये गये तथा यह माना गया कि मूल प्रविष्टि को परिवर्तन करने का अधिकारी भू–प्रबन्ध अधिकारियों को प्राप्त नहीं है। सिर्फ लैण्ड रिकोर्ड ऑफिसर को यह अधिकार प्राप्त है।

समग्र विवेचन से स्पष्ट है कि विवादित खसरा नम्बर का साबिक खसरा नम्बर 360 था जिसका रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा था। जिसके नये खसरा नम्बर 456 बने है। जिसका रकबा 1 हेक्टेयर है। भू–प्रबन्ध के पूर्व राजस्व रिकोर्ड में खातेदार की भूमि में दो प्रकार से किस्में दर्ज की हुई थी–बारानी और गैर मुमकीन शमसान। जो काफी सालो तक इसी रूप में दर्ज की जाती रही है। मगर भू–प्रबन्ध के बाद मिसल बन्दोबस्त की जमाबन्दी में गैर मुमकीन शमसान को हटाकर सिर्फ बारानी–1 दर्ज कर दिया गया है। मौका पर्चा द्वारा पटवारी के अनुसार खसरा नम्बर 456 के 0.20 हे0 भूमि पर शमसान के रूप में काम में ली जा रही है। तहसीलदार उनियारा द्वारा ट्रायल कोर्ट के जवाब में तथा बाद में दिनांक 18.01.2022 को भी भू–अभिलेख तहसीलदार उनियारा द्वारा इस बात की तस्दीक की गयी कि भू–प्रबन्ध से पूर्व भूमि की किस्म को भू–प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान बदल दिया गया है। उक्त कार्य भू–प्रबन्ध के कार्मिको द्वारा बिना सक्षम स्वीकृति उक्त कार्य किया जाना माना जायेगा। जो निरस्त योग्य है।

भूमि चूंकि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ काम में लिया जाना बताया गया है ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव द्वारा जनहित हेतु कार्यवाही की जा सकती है। हम रेस्पोडेंट कि इस बात से भी सहमत है कि खातेदार की भूमि उससे छिनी नहीं जा रही है। अपितु सिर्फ भूमि की किस्म का संशोधन ट्रायल कोर्ट द्वारा किया गया था। जो कि प्रस्तुत विवेचन से उचित जान पड़ता है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:16:57 IST
Reason: SelfAttested

क्रियात्मक आदेश

अपील द्वारा अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.01.2022 प्रकरण 36/2021 बउनवानी नेमीचन्द बनाम तहसीलदार में उपखण्ड अधिकारी उनियारा के निर्णय को यथावत रखा जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 22.12.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:16:57 IST
Reason: SelfAttested